



स्वच्छ महाराजगंज



कार्यालय नगर पंचायत, महाराजगंज

E-Mail :- nagarpanchayat.maharajganj@gmail.com



स्वस्थ महाराजगंज

पत्रांक...1194/

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
भा0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

महाराजगंज, दिनांक...25-9-2018

विषय :-

निरोक्षण प्रतिवेदन संख्या- 643/2010-11, 252/2013-14, 737/2014-15 एवं
654/2017-18 का साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-
643/2010-11, 252/2013-14, 737/2014-15 एवं 654/2017-18 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र
के साथ संलग्न कर भवदीय की सेवा में समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

30-
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

ज्ञापंक...1194/न0प0 महा0/ दिनांक...25-9-2018

प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के भवदीय पत्रांक
2004/दिनांक 04.09.2018 के आलोक में भवदीय द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में सादर सूचित करना
है कि तत्कालिन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय से अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।
अतः स्पष्टीकरण से मुक्त करने की महत्ती कृपा की जाय।

25/9/18
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, महाराजगंज।

25/9/18

507
08-09-18
97

श्री संजीव
27/9/18

6
25/9
520
29/9/18




कार्यालय नगर पंचायत महाराजगंज, सिवान

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 252/2013-14

अवधि - 2010-11 से 2011-12

क्र०	कंडिका संख्या	अंकेक्षण टिप्पणी	अनुपालन	अभ्युक्ति
01	10	नही एवं कम जमा राशि (16482.00 रूपया)	श्री धर्मनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त अनुसेवी जो मृत हो चुके है, उनक पत्नी मंदोदरी देवी को गृहकर वसूली में बकाया राशि-(16,482.00 रूपया) जमा करने हेतु नोटिस भेजा गया है। अगर मु० मंदोदरी देवी द्वारा समय पर राशि जमा नही की जाती है तो स्व० धर्मनाथ प्रसाद के पारिवारिक पेंशन से यह एक मुश्त राशि समायोजन कर जी जायेगी। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
02	13	चापाकल की योजना में अग्रिम के विरुद्ध कार्य नही (5.25 लाख रूपया)	अभिकर्ता श्री पृथ्वी राज सिंह, तत्कालीन प्रभारी, कनीय अभियंता नगर पंचायत, महाराजगंज द्वारा लिए गये अग्रिम को जमा करने हेतु उनके संबंधित विभाग सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज के उनके वेतन से सेवान्त लाभ के राशि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। (नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
03	14 (I)	सैरातो की बन्दोबस्ती राशि वसूली नही (28,800.00 रूपया)	श्री बबलू कुमार सिंह, सब्जीमंडी गुडहट्टी बाजार एवं श्री संजय कुमार यादव को टिन-टिकट बन्दोबस्तीधारी बकाया बन्दोबस्ती की राशि जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र निर्गत किया गया है।(नोटिस पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
04	14 (II)	बन्दोबस्ती हेतु एकरारनामा निर्दिष्ट स्टाम्प पेपर पर नही करने से राजस्व हानी (2,433.00 रूपया)	नगर पंचायत, महाराजगंज की मासिक बोर्ड की बैठक दिनांक 17.04.2013 के प्रस्ताव संख्या 02 के आलोक में लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा टिन-टिकट बन्दोबस्ती नही करने हेतु रोक लगाई गई जिसके कारण बन्दोबस्ती नही हुआ है। (प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न)	
05	14 (III)	बन्दोबस्ती नही होने से नगर पंचायत को हानी (50,835.00 रूपया)	सब्जी मंडी के बन्दोबस्ती की राशि वसूली हेतु पत्राचार किया गया है। लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा टिन-टिकट की बन्दोबस्ती की राशि पर नगर पंचायत, के बोर्ड की बैठक दिनांक 17.04.2013 के प्रस्ताव संख्या- 02 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय के आलोक में रोक लगाया गया था। (कार्रवाई की छायाप्रति संलग्न) शौचालय की बन्दोबस्ती आचार संहिता के कारण नही हो सकी। अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	



06	14 (1V)	2011-12 में सैरात की विभागीय वसूली में कम जमा राशि (13,555.00 रूपया)	श्री राजेश कुमार पंकज, कर संग्रहक द्वारा 125 रूपया प्रतिदिन की दर से दिनांक 01.06.2011 से 24.06.2011 तक वसूली किया गया, कुल 46 दिनों का $146 \times 125 = 18250.00$ जमा करना था जिसमें 4695.00 रूपया ही जमा किया था, शेष राशि मो0-13,555.00 रूपया जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न)
07	15	संचार एवं मोबाईल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रूपया 404000.00 बकाया रहना।	मोबाईल टावर के प्रबंधक को कई बार नोटिस निर्गत किया गया, मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण वसूली नहीं हो पा रही है। इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न)

विश्वसभापति
 22/5/11
 पदाधिकारी
 नगर पंचायत, महाराजगंज
 नगर पंचायत, महाराजगंज